राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1250, 1251, 1252 व 1253 / 2016..... जिला : जयपुर

मैसर्स सुरेश इन्फोटेक, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,राजस्थान,वृत–प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री ओ.पी.सैनी, अध्यक्ष

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

24.06.2016

अपीलार्थी की ओर से श्री मुजफ्फर इकबाल, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी. ओझा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपरोक्त चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 02.06.2016, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,राजस्थान,वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26,34, 55 एवं 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 ,2010–11, 2011–12 व 2012–13 के लिये पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.04.2016 के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार सृजित मांग में से तालिका के कॉलम संख्या 6 में अंकित राशियों की वसूली को स्थगित करने का निवेदन किया गया है:–

अ.सं.	कर	ब्याज	शास्ति	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	6
1250 / 16	14,34,348 / –	11,44,456 / –	28,68,696	24,35,369 / –
1251 / 16	9,43,650 / –	6,39,750 / –	18,87,300 / –	14,89,035 / –
1252 / 16	14,25,838 / –	7,95,486 / –	28,51,676 / –	20,78,740 / –
1253 / 16	3,80,534 / –	1,66,698 / –	7,61,070 / –	5,09,179 / –

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों अध्ययन किया गया एवं बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि He is the second seller in the State of Rajasthan and all the purchases of pre-packed Laptops & Tablets were affected from registered dealer in the State and sells as it is in pre-packed conditions to retailers. उन्होंने बताया कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा मैसर्स बालाजी लाईफ सोलूशन प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2015 के द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, के तथ्य एवं हस्तगत के तथ्य एक समान है। उक्त निर्णय का सारगर्भित अंश लिखित बहस में अंकित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

" It is imperative that we at the present juncture act to not interfere in the appellate order under conflict over sustenance of the enhanced tax liability and interest by the Appellate Authority. Even as the matter is *sub judice* in the Board, we without affecting the merit of the case presently deem it appropriate to grant an injunction against the recovery in respect of demand pertaining to the aforesaid tax and interest prima facie driven by the consideration of concept of the second purchaser's sales. Therefore, the aforesaid impugned stay application is accepted."

हस्तगत प्रकरणों में आलोच्य अवधि में बिक्रीत माल मोबाईल फोन बैट्री एवं चार्जर की बिक्री पर व्यवहारी ने 5 प्रतिशत की दर से वैट वसूल करके राजकोष में जमा कराया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान वैट अधिनियम के शिड्यूल पंचम के अनुसार 14 प्रतिशत की दर कर योग्य मानकर 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया है। हस्तगत प्रकरणों में कर दर का प्रश्न निहत है। प्रकरण के तथ्यों एवं उद्धृत निर्णय पर मनन करने के पश्चात अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त तालिका के कालम संख्या 6 में अंकित राशियों की वसूली को, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप 15 दिवस में समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, स्थगित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष